संख्या-975/2018/1317/22-2-2018-17(283)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर ,2018***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलवान पुत्र श्री परागी, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलवान पुत्र श्री परागी, जो निवासी-शिवरूखी, थाना-सदरपुर, जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/1979 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 323/149,147 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 14.07.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **30**.07.**2002** द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 15 वर्ष 03 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 60 वर्ष 01 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बलवाल पुत्र श्री परागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बलवान बन्दी संख्या-(38007)47703 पुत्र श्री परागी, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-975/2018/1317(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-975/2018/1317/22-2-2018-17(283)/2018

दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलवान पुत्र श्री परागी, जो निवासी-शिवरूखी, थाना-सदरपुर, जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69/1979 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 323/149,147 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 14.07.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक **30**.07.**2002** द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 15 वर्ष 03 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी ने जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.05.1977 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम से पुत्तन खां नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं अख्तर नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 60 वर्ष 01 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बलवाल पुत्र श्री परागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in